न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीनअधिकारी : प्रियव्रत सिंह चारण , आर.ए.एस.

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :—19/2021 (2021/160)

1. विमला देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण
2. जगदीश नारायण झालानी पुत्र छीतरमल झालानी

समस्त जातियान महाजन निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

———प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार महोदय तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बनवारी पुत्र जोधाराम
3. मामराज पुत्र सुरज्ञान
4. सुल्तान पुत्र बद्री
5. नन्छूराम पुत्र शंकर
6. प्रदीप पुत्र सुवालाल
7. प्रमोद पुत्र सुवालाल
8. प्रवीण पुत्र साधूराम
9. बनवारी पुत्र शंकर
10. बाबू पुत्र शंकर
11. मु0गोरा पत्नी शंकर
12. मंदक पुत्र सुवालाल
13. मन्नी पत्नी साधूराम

समस्त जाति जोगी हाल निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत स्थापित किये जाने स्थाई सीमांकन (पत्थरगढी) अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :—07.06.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि हाल आराजी खाता संख्या 858 के खसरानंबर 51 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हैक्ट0 एवं दूसरा खाता संख्या 1073 के खसरानम्बर 52/6830 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.17

हैक्टेयर वाके ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है।जिसके प्रार्थीगण खातेदार है। यह है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 01 में वर्णित आराजी में से खसरानम्बर 51 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं खसरानम्बर 52/6830 रकबा 0.17 हैक्टेयर का तहसीलदार आमेर के आदेश क्रमांक भू0अ0/20/9213 दिनांक 27.10.2020 की पालना में खसरानम्बर 51 एवं खसरानम्बर 52/6830 कादिनांक 17/12/2020 को मौतविरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया था जिससे प्रार्थी सहमत है।

यह है कि सीमाज्ञान से प्रार्थी को सीमा का ज्ञान हो गया है परन्तु स्थायी चिन्ह नहीं होने से पड़ौसी काश्तकार पुनः सींव काट काट कर दबा रहे है तथा प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण कर रहे है जिससे आये दिन विवाद बढने की आंशका बनी रहती है जिस कारण स्थाई सीमाचिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि खसरा नम्बर 51 एवं खसरा नम्बर 52/6830 के आसपास के पड़ौसी काश्तकारों ने सीमाज्ञान पर भी विवाद किया था अब पत्थरगढ़ी पर भी आमादा फिसाद हो सकते है, इस कारण जरिये पुलिस इमदाद मौके पर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायनुमत एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल खाता संख्या 858 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं दुसरा खाता संख्या 1073 के खसरा नम्बर 52/6830 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान दिनांक 17.12.2020 के मुताबिक जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढ़ी कियेजाने की आज्ञा प्रदानकरें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई।अप्रार्थी सं0 2 लगायत 13 को जरिये साधारण डाक एवं रजिस्टर्ड डाक तामिल करवायी गयी । अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार आमेर की ओर से प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की गई।रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम अचरोल पटवार हल्का अचरोल तहसील आमेर के वर्तमान जमाबन्दी में आ0ख.नं. 51 रकबा 0.22 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 खातेदार विमला देवी पत्नी जगदीश नारायण हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा0देह के नाम दर्ज है।प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ख.नं. 51, 52/6830 का तहसीलदार आमेर के आदेश क्रमांक 9213 दि. 27.10.2020 की पालना में दिनांक 17.12.2020 को सीमाज्ञान करवाया गया है।सीमाज्ञान के वरवक्त पड़ौसी खातेदारों की भूमि की मौका स्थिति पर सीमा सही नहीं होने से विवाद की स्थिति हो गई थी। अतः पत्थरगढ़ी के वर वक्त मौके पर

पुलिस इमदाद का होना उचित है। विवाद की स्थिति होने के कारण पुलिस इमदाद के साथ ही पत्थरगढ़ी किया जाना संभव है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण की हाल खाता संख्या 858 एवं दूसरा खाता संख्या 1073 खातेदारी भूमि जो कि एक दूसरे की सींवजोड़ से जुड़ी हुई समीपवर्ती है जिसके दोनों खातों का सीमाज्ञान एक ही साथ दिनांक 17.12.2020 को किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके सीमाज्ञान दिनांक 17.12.2020 के अनुसार हाल खाता संख्या 858 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं दुसरा खाता संख्या 1073 के खसरानम्बर 52／6830 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सम्पादित करावें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।